पत्र संख्या–१३/वि०मं०–४६/२०२३ सा०–395/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सत्यम सहाय,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
निगरानी विभाग, बिहार, पटना ।

पटना–१५, दिनांक – 02 नवम्बर, २०२३

विषय – मा० जनक राम (मनोनीत), स०वि०प० द्वारा बिहार विधान परिषद् के 205 वें सत्र में पूछा जाने वाला ऑनलाईन तारांकित प्रश्न संख्या–१/२०५/१८४ के हस्तांतरण के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक बिहार विधान परिषद् सचिवालय के बेवसाईट से प्राप्त ऑन–लाईन तारांकित प्रश्न संख्या–१/२०५/१८४ द्वारा इस विभाग के लॉगिन में प्राप्त है । आलोच्य प्रश्न का विषयवस्तु "प्रखण्ड से लेकर जिला स्तर पर भ्रष्टाचारि/बिचौलियों को समाप्त करने के लिए कोई नीति बनाने का विचार रखती है, से संबंधित है ।" उक्त प्रश्न की मूल प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है ।

अनुरोध है कि उक्त तारांकित प्रश्न का उत्तर ससमय बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय तथा इसकी प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भी दी जाए। इस आशय की सूचना बिहार विधान परिषद् सचिवालय, बिहार, पटना को दी जा रही है ।

अनु०–यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक–१३/वि०मं०–४६/२०२३ सा०–395/पटना–१५, दिनांक 02 नवम्बर २०२३

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना के वेबसाईट से प्राप्त ऑन–लाईन तारांकित प्रश्न संख्या–१/२०५/१८४ के क्रम में प्रेषित तथा अनुरोध है कि उक्त तारांकित प्रश्न को सामान्य प्रशासन विभाग, पटना की सूची से विलोपित कर निगरानी विभाग, बिहार, पटना की सूची में रखने की कृपा की जाय ।

2. उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, पटना / मा० विभागीय प्रभारी मंत्री (सामान्य प्रशासन विभाग) के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक–१३/वि०मं०–४६/२०२३ सा०–395/पटना–१५, दिनांक 02 नवम्बर, २०२३

प्रतिलिपि – आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

(1)

Bihar Vidhan Parishad Question

1/205/184

भ्रष्टाचार की समाप्ति हेतु नीति

26/10/2023 01/11/2023

*1/205/184 श्री जनक राम(मनोनीत)

सामान्य प्रशासन

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है;

(ख) क्या यह सही है कि प्रखंड से लेकर जिलास्तर पर भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है;

(ग) क्या यह सही है कि सरकारी कार्यालय में आमजनों का कार्य बिचौलियों की सहायता के बिना नहीं होता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भ्रष्टाचार/बिचौलियों को समापत करने के लिए कोई नीति बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

S.O-03
D.No-4084/प्रा०-13
01/11/23